न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 2020/79

1. भूरा पुत्र लादूराम धानका जाति धानका उम्र 90 वर्ष निवासी ग्राम अजयराजपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर।
2. भैरू पुत्र लादूराम धानका जाति धानका निवासी ग्राम अजयराजपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर
3. सीताराम पुत्र नाथूराम धानका जाति धानका निवासी ग्राम अजयराजपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर
4. नाथी देवी पत्नी नाथूराम धानका जाति धानका निवासी ग्राम अजयराजपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर
5. गोपाल पुत्र नानगा जाति धानका जाति धानका निवासी ग्राम अजयराजपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर
6. रतन पुत्र नानगा जाति धानका जाति धानका निवासी ग्राम अजयराजपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर
7. मदन पुत्र नानगा जाति धानका निवासी ग्राम अजयराजपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर
8. छुट्टन पुत्र नानगा जाति धानका निवासी ग्राम अजयराजपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर
9. मोहन पुत्र नानगा जाति धानका निवासी ग्राम अजयराजपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर

–प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

बनाम

1 रामनारायण पुत्र श्योजीराम धानका जाति धानका निवासी ग्राम अजयराजपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर

2 बदाम पत्नी श्योजीराम धानका जाति धानका निवासी ग्राम अजयराजपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर।

3 मंगली पत्नी हनुमान सहाय पुत्री श्योजीराम धानका निवासी ग्राम मदरामपुरा डिग्गी रोड सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।।

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:49:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

4 ममता पत्नी दिनेश पुत्री श्योजीराम धानका निवासी ग्राम खातीपुरा नेवटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

6 राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

7 पुलिस थाना सेज जरिये थाना अधिकारी तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

8 उपपंजीयक सांगानेर प्रथम तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित
आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय **दिनांक**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश हुआ कि राजस्व ग्राम अजयराजपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की सरहद में स्थित हाल आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 186 रकबा 3.63 हैक्टेयर डोडावाली, खसरा नंबर 326 रकबा 0.140 हैक्टेयर, टीबावाली खसरा नंबर 327 रकबा 0.30 हैक्टेयर खारडावाली, खसरा नंबर 328 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 329 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.340 हैक्टेयर आराजी स्थित है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 155 पुराना 127 के अर्न्तगत दर्ज इन्द्राज के अनुसरण में उक्त खसरान् की भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उक्त आराजी पर पक्षकारान के पूर्वज लादू, गुल्ला पुत्र गोविन्दराम के जीवन काल से ही कुल आराजी के हिस्से 1/5 पर गुल्ला पुत्र गोविन्दराम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही काबिज काश्त रहा था शेष आराजी 4/5 हिस्से पर प्रार्थीगण के पूर्वज लादू पुत्र गोविन्दराम तथा उनकी फौती के पश्चात नानगा, भूरा, भैरू, नाथू पुत्रान् लादू अपने हिस्से पर काबिज काश्त रहे। तथा आज भी मौके पर पक्षकारान् उपरोक्त हिस्सेनुसार ही काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:49:41 IST
Reason: SelfAttested
Scanned by CamScanner

रहे है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही सजरा खानदान के सदस्य है जो कि लादू, गुल्ला पुत्रान् गोविन्दराम के विधिक वारिसान है तथा पक्षकारान् के मध्य मौके पर उपरोक्त हिस्सेनुसार काबिज होने बाबत् कोई विवाद व झगडा भी नही रहा है तथा पक्षकारान् एक ही मौरूसी आला की संताने है। तथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

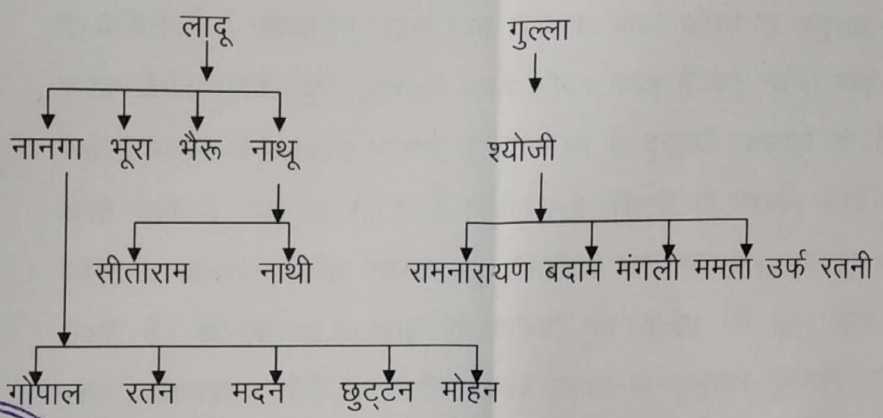

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

उपरोक्त आराजी पर कदीमी समय से प्रार्थीगण के पूर्वज हिस्से 4/5 पर काबिज काश्त व दाखिल रहे है। तथा हिस्से 1/5 पर अप्रार्थीगण के पूर्वज श्योजी पुत्र गुल्ला काबिज काश्त रहा तथा मौके पर भी इसी अनुरूप पक्षकारान् के पूर्वज तथा उनकी फौती के पश्चात् प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त रहे। अप्रार्थीगण के पूर्वज कदीमी काल से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से ही हाल आराजी खसरा नंबर 186 के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर अपने 1/5 हिस्से के अनुसार ही काबिज काश्त रहे तथा उनकी फौती के पश्चात वर्तमान में भी उक्त हिस्से पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त है तथा शेष सम्पूर्ण मुतदाविया आरजीयात के हिस्से पर पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज तथा उनकी फौती के पश्चात् प्रार्थीगण सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। तथा मौके पर उपरोक्तानुसार ही कब्जे काश्त में पक्षकारान् के मध्य कोई विवाद व झगडा टन्टा भी नही है। अप्रार्थीगण के पूर्वज श्योजी पुत्र गुल्ला के पिता गुल्ला पुत्र गोविन्दराम का छोटी उम्र में ही दिनांक 18.11.1957 को देहान्त हो गया था उस समय श्योजी पुत्र गुल्ला की उम्र में मात्र 10 दिन की थी। उसी समय से ही मुतदाविया आराजीयात पर गुल्ला के जीवन काल से ही पक्षकारान् प्रार्थीगण के पूर्वज हिस्से 4/5 पर तथा अप्रार्थीगण के पूर्वज हिस्से 1/5 पर काबिज काश्त व दाखिल रहे है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:49:41 IST
Reason: SelfAttested
Scanned by CamScanner

किन्तु राजस्व भू अभिलेखों में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम मुतदाविया आराजीयात हिस्सा 1/2–1/2 दर्ज रही जिसकी जानकारी पक्षकारान् को श्योजी के जीवन काल से रही है। श्योजी पुत्र गुल्ला व प्रार्थीगण के पूर्वजो के मध्य मधुर पारिवारिक संबंध होने के कारण तथा गुल्ला के परिवार का सम्पूर्ण लालन पालन पोषण तथा देखरेख प्रार्थीगण का परिवार ही करता था। जिस पर प्रार्थीगण को यह विश्वास था कि कभी भी राजस्व भू–अभिलेखों में पक्षकारान् अपना नाम मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार दर्ज करवा लेगें। श्योजी पुत्र गुल्ला ने अपने जीवन काल में कई मर्तबा मौके पर कदीमी कब्जे के अनुसार राजस्व भू अभिलेखों में दुरूस्ती करवाने की जिद करते रहते थे तथा यह भी कहते थे कि मेरी फौतगी के पश्चात् कोई पता नही मेरे वारिसान अवैध राजस्व भू अभिलेखों का नाजायज फायदा उठा सकते है। दिनांक 08.10.2019 को श्योजी पुत्र गुल्ला की मृत्यु होने के पश्चात् पक्षकारान् मौके पर कदीमी कब्जे काश्त के अनुसार दुरूस्ती करवा लेगे। तथा इस बाबत् पक्षकारान् आपस में दस्तावेज भी आपसी सहमति तैयार करते रहे। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में उनकी पिता की फौती के पश्चात् तुच्छ बदयान्ती उत्पन्न होने लग गई। तथा कुछ भू माफिया लोगो के बहकावे में आकर वह राजस्व अभिलेखों का नाजायज फायदा उठाते हुए मुतदाविया आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा फिसाद हो रहा है। दिनांक 16.07.2020 को प्रार्थीगण के पास तथाकथित कैवियट का नोटिस प्राप्त हुआ तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से मुलाकात कर उक्त नोटिस के बारे में अवगत करवाया तो प्रतिवादी आग बबुला हो गया तथा कहा कि मै मेरे पिता का फौती नामान्तकरण तस्दीक करवाकर मुतदाविया आराजीयात को विक्रय हस्तान्तरण करूगा। इसलिये आपको उक्त नोटिस प्रेषित करवाया है। जिससे कि आप न्यायालय से कब्जे काश्त के आधार पर स्थगन प्राप्त कर मुझे विक्रय हस्तान्तरण से रोक नही सको। उपरोक्त वाक्यात से ही प्रार्थीगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ तथा राजस्व भू–अभिलेखों की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उक्त वाद बाबत् घोषणा, तकासमा एवं हुक्म इम्तनाही दवामी का पेश करना लाजमी हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि, ... ग्राम ...पुरा

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:49:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पटवार हल्का अजयराजपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की सरहद में स्थित हाल आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 186 रकबा 3.63 हैक्टेयर डोडावाली, खसरा नंबर 326 रकबा 0.140 हैक्टेयर, टीबावाली खसरा नंबर 327 रकबा 0.30 हैक्टेयर खारडावाली, खसरा नंबर 328 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 329 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.340 हैक्टेयर की भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से कोई विक्रय हस्तान्तरण खुर्द बुर्द, नही करते हुये मौके की स्थिति में बदलाव नही करते हुये, बैचान–हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि नही करने एवं ऐसे किसी भी लेख्य पत्र का पंजीयन करने से निषेद्व रहे तथा प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्छाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने, विशिष्ठ भू–भाग पर कच्चा–पक्का निर्माण करने से निषेद्व रहें तथा ऐसा कृत्य अपने–अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी कराने से निषेद्व रहें तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की वर्तमान यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे जिससे मौके पर शान्ति कायम रह सके। और इस अमर की तहरीर बाबत पालनार्थ अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 को जारी की जावें।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2074 से 2077, प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि नजरी नक्शा ट्रेस पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। व प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में अभिभाषक रामगोपाल चौधरी व अन्य की ओर से दिनांक 14.07.2020 को प्रस्तुत कैवियट नोटिस व अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब में अंकित है कि : मदहाजा 2 में वर्णित हिस्सेनुसार प्रार्थीगण एवं मिन उत्तरदातागण संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा होने का तथ्य बगर्ज प्रार्थीगण विरूद्व राजस्व रिकॉर्ड एवं कपोल कल्पित मनगढन्त दर्ज किया हुआ है, जो स्वीकार नही है। मद नंबर 3 में वर्णित सजरा खानदान में लादू एवं गुल्ला के पिता/पूर्वज का नाम गोविन्दराम दर्ज नही किया अन्य सिजरा खानदान सही है। आराजी मुतदाविया वर्णित मद नंबर 2 शुरू से ही राजस्व रिकॉर्ड में 1/2–1/2 सही रूप से दर्ज रही है जिसें प्रार्थीगण दावे हाजा का दबाव बनाकर स्वंय के नाम 1/2 हिस्सें से बजाय 1/2 हिस्सा दर्ज करवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:49:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

चाहते है जिसमें प्रार्थीगण मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं दावे हाजा व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जो कि प्रार्थीगण की लिखित स्वीकारोक्ति है, के अनुसार अपनें हिस्सें से बढकर मिन उत्तरदाता का हिस्सा कानूनन प्राप्त करनें के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण अपने पूर्वज के समय से अपने 1/2 हिस्सें पर काबिज काश्त है एवं मिन उत्तरदाता अपनें 1/2 हिस्सें पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने श्रीमान् के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नेक नियत क्लीन हैण्ड से पेश नही किया है बल्कि समस्त तथ्यों को तोड मरोडकर अपनी कल्पना की उडान को परवाज चढाते हुये दर्ज किये है, ताकि मिन उत्तरदातागण पर बेजा मुकदमें बाजी का दबाव बनाया जा सकें, एवं उन्हें हर्जे खर्चे से जेरबार किया जा सकें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चो खारिज फरमाया जावें एवं हर्जा विशेष प्रार्थीगण से मिन उत्तरदातागण को दिलवाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम अजयराजपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की सरहद में स्थित हाल आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 186 रकबा 3.63 हैक्टेयर डोडावाली, खसरा नंबर 326 रकबा 0.140 हैक्टेयर, टीबावाली खसरा नंबर 327 रकबा 0.30 हैक्टेयर खारडावाली, खसरा नंबर 328 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 329 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.340 हैक्टेयर स्थित है राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 155 पुराना 127 के अन्तर्गत दर्ज इन्द्राज के अनुसरण में उक्त खसरान् की भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उक्त आराजी पर पक्षकारान् के पूर्वज लादू, गुल्ला पुत्र गोविन्दराम के जीवन काल से ही कुल आराजी के हिस्से 1/5 पर गुल्ला पुत्र गोविन्दराम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही काबिज काश्त रहा था शेष आराजी 4/5 हिस्से पर प्रार्थीगण के पूर्वज लादू पुत्र गोविन्दराम तथा उनकी फौती के पश्चातृ नानगा, भूरा, भैरू, नाथू पुत्रान् लादू अपने हिस्से पर काबिज काश्त रहें। तथा आज भी मौके पर पक्षकारान् उपरोक्त हिस्सेनुसार ही काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को विशिष्ठ कथनो के अभाव में अस्वीकार किया गया। केवल मात्र [illegible] अभिलेखों की आड लेकर

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:49:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण/वादीगण के प्रार्थना पत्र में दर्ज विशिष्ट कब्जे काश्त को भी अपने वादोत्तर के माध्यम से इन्कारी नही की गई है। और केवल फौरे तौर पर राजस्व रिकॉर्ड पर जोर देते हुये जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। प्रार्थीगण विधिक मंशा के अनुरूप possession follow title के सिद्वान्त के अनुरूप 4/5 हिस्से के पूर्णतः मालिक स्वामी खातेदार काबिज काश्तकार है। और ऐसे घोषणा के प्रकरण में प्रथम दृष्टया होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि स्थापित की जा चुकी है कि राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज हिस्से अन्तिम सत्य नही होते है उनको रिबट करने का किसी भी व्यक्ति को कानूनी हक अधिकार हासिल है और इसी ताहिद में प्रार्थीगण ने कानून की मंशा के अनुसार अपना घोषणा का दावा प्रस्तुत कर उक्त राजस्व भू अभिलेखों को रिबट करने बाबत् चुनौती दी गई है। इसलियें प्रस्तुत प्रकरण की नोयत की मध्य नजर यह बखूबी साबित हो गया है कि सुविधा का संतुलन पूर्णत प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना आवश्यकीय है। प्रकरण में सम्पूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से यह बखूबी साबित है कि दौराने घोषणा वाद मुतदाविया आराजीयात को सुरक्षित नही किया जाता है तो अपूतनीय क्षति प्रार्थीगण को ही होगी जिसकी क्षति पूर्ति दावे में सफलता मिलने पर भी प्राप्त नही हो सकेगी। तथा पक्षकारान् के मध्य वादो की बाहुलता होगी। प्रार्थीगण अपने राजस्व कानूनी अधिकारों से महरूम हो जायेगा। इस प्रकार अपूतर्नीय क्षति प्रस्तुत प्रकरण की नोयत के मध्य नजर प्रार्थीगण को ही होगी न की अप्रार्थीगण को। विधि की मंशा के अनुसार उक्त स्थापित तीनो आधारभूत तत्वों की रोशनी में प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन अपूतर्नीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी साबित है। इसलिये दौराने घोषणा वाद प्रार्थना पत्र अधीन मुतदाविया आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखना कानूनी आवश्कीय है। न्यायिक दृष्टांत 2004 आर.आर.डी पेज 236, 1983 आर आर डी पेज 712, 1980 आर आर डी पेज 243, 1995 आर आर डी 371, 2014 (2) डब्ल्यू एल एल 93, 2012 डीएनजे राजस्थान 639, 1995 डीएनजे(2) राज. पेज 676, 2016 आर.जी.जे. 468, 2015(1) डीएनजे एससी 50, 2017 (3) डीएन जे एससी–806, एनआईआर 2009 एस सी–1227, एआई आर 1973 एस सी–761, 2016(2) सीजेसिविल 870, 2015 आरआरटी– ... बीजे

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:49:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

83, 2013 आरआरटी पेज 151, 226, 391 2010 आरआरटी–221, 1987 आरआरडी –426, 2016 आरबीजे – 572

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की लिखित बहस स्वीकार फरमायी जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर मुतदाविया आराजीयात की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति दौराने वाद घोषणा बनाये रखे जाने के आदेश प्रदत्त किये जावें।

बहस पर मनन उपरांत लिखित बहस का मय न्यायिक दृष्टांत व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद अर्न्तगत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् तकासमा घोषणा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम अजयराजपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की सरहद में स्थित हाल आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 186 रकबा 3.63 हैक्टेयर डोडावाली, खसरा नंबर 326 रकबा 0.140 हैक्टेयर, टीबावाली खसरा नंबर 327 रकबा 0.30 हैक्टेयर खारडावाली, खसरा नंबर 328 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 329 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.340 हैक्टेयर भूमि पक्षकारान् के पूर्वज लादू, गुल्ला पुत्र गोविन्दराम के जीवन काल से ही कुल आराजी के हिस्से 1/5 पर गुल्ला पुत्र गोविन्दराम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही काबिज काश्त रहा था शेष आराजी 4/5 हिस्से पर वादीगण के पूर्वज लादु पुत्र गोविन्दराम तथा उनकी फौती के पश्चात नानगा, भूरा, भैरू, नाथू पुत्रान् लादू अपने हिस्से पर काबिज काश्त रहे है। और वादीगण के पूर्वज कब्जे काश्त में होने से आराजीयात के हिस्से 4/5 हिस्से की घोषणा करवाने हेतु दावा पेश किया है। हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में हाल इन्द्राज के विरूद्व प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा नही यह मूलवाद में निर्धारित किया जाने वाला बिन्दू है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के दृष्टिकोण से विचार किया जाना है। उक्त वर्णित दस्तावेजात से यह जाहिर है कि वादग्रस्त आराजियात के हाल रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता प्रतीत नहीं होता है। यदि रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश से पाबन्द किया जाता है तो इस [illegible] रूप

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:49:41 IST
Reason: SelfAttested
Scanned by CamScanner

से असुविधा व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण की न होकर अप्रार्थीगण की होना सम्भावित है। ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 06.11.2020 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:49:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner